विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डा० आकाश अग्रवाल, मा० सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-9 का उत्तरालेख।

प्रश्न	**उत्तर**
9 (क) क्या कृषि विपणन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक में नवीन सब्जी मण्डी की स्थापना की कई और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इस सब्जी मण्डी के लिये कितनी जमीन आवंटित की गई और कितने वर्ग मीटर पर दुकानों एवं गोदामों का कितना निर्माण हुआ?	जी हाँ। जनपद आगरा में अतिरिक्त फल-सब्जी मण्डी स्थल, बरौली अहीर के रूप में वर्ष 2017-18 में स्थापित की गई थी। भूमि क्रय पर रू0 346.08 लाख एवं मण्डी निर्माण में रू0 868.75 लाख का व्यय हुआ। मण्डी स्थल के लिए कुल 2.342 एकड़ भूमि आवंटित है। उक्त मण्डी स्थल में 'स' श्रेणी की 43 नग दुकानें कुल क्षेत्रफल 1452.79 वर्गमीटर (1 दुकान बरामदा सहित का क्षेत्रफल 3.23×10.46 मीटर) एवं 30 नग सुपर मार्केट की दुकानें कुल क्षेत्रफल 868.22 वर्ग मीटर (1 दुकान का क्षेत्रफल 3.23×8.96 मीटर) में निर्मित हैं एवं गोदाम निर्मित नहीं है।
(ख) उक्त दुकानों को किस प्रकार आवंटित किया गया?	उक्त दुकानों का आवंटन दुकान आवंटन विनियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में प्रावधानित समिति के माध्यम से खुली नीलामी पद्धति में उच्चतम बोली के आधार पर किया गया है।
(ग) वर्तमान में कितनी दुकाने आवंटित होनी शेष रह गई है?	मण्डी स्थल में निर्मित सुपर मार्केट की 30 नग दुकानें वर्तमान में आवंटन हेतु शेष हैं, जिनकी नीलामी मण्डी समिति द्वारा शीघ्र की जाएगी।
(घ) क्या इस सब्जी मण्डी के निर्माण के पश्चात भी जनपद-आगरा में फतेहाबाद रोड बसई चौकी के पास सब्जी एवं फल मण्डी वर्तमान मे भी संचालित हो रही है जबकि बरौली अहीर सब्जी मण्डी के निर्माण के पश्चात यह मण्डी उधर ट्रान्सफर हो जानी चाहिये थी लेकिन आज 3 वर्ष के पश्चात भी मण्डी को ट्रान्सफर नहीं किया गया है जिसके कारण मार्ग 12 घण्टें अवरूद्ध रहता है?	फतेहाबाद रोड बसई चौकी के पास कलुआराम मण्डी उप स्थल संचालित है, जिसे कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या-3/2020/134/अस्सी-2020-100(8)/2020 दिनांक 15.05.2020 द्वारा श्री कलुआराम पुत्र श्री निनुआराम, बसई, ताजगंज, तहसील एवं जिला आगरा के स्वामित्वाधीन खसरा संख्या-2006 क्षेत्रफल 2420 वर्ग मी० एवं खसरा संख्या-2007 क्षेत्रफल 2820 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 5240 वर्ग मीटर में विनिर्दिष्ट फल एवं सब्जियों के थोक सौदे हेतु 20 वर्ष की अवधि के लिए मण्डी उप स्थल घोषित किया गया है। कलुआराम मण्डी उप स्थल घोषित होने के कारण यहाँ का व्यापार फल-सब्जी मण्डी स्थल, बरौली अहीर में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।
(ड.) बसई चौकी के पास अवैध रूप से संचालित सब्जी एवं फल मण्डी को कब तक हटवायेंगे ?	बसई चौकी के पास कलुआराम मण्डी उपस्थल संचालित है, जो कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 उ०प्र० शासन की अधिसूचना दिनांक 15.05.2020 द्वारा 20 वर्ष हेतु मण्डी उप स्थल घोषित किया गया है।

दिनेश प्रताप सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग।